मोनोतोष साहा

बनाम

विशेष निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय एवं अन्य

(सिविल अपील संख्या 5188 / 2008)

21 अगस्त 2008

[डॉ अरिजीत पसायत और डॉ. मुकुंदकम शर्मा, जे.जे.]

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973: धारा 19(1) - जुर्माना - अपील सुनने की शर्त के रूप में पूर्व-जमा - पूर्व जमा की व्यवस्था पर रोक -अनुदान -धारित: स्थगन देते समय, संबंधित फोरम के समक्ष मामलों का निपटान लंबित हालांकि, विवेकाधिकार उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए -रोक के लिए याचिकाओं का निपटारा नियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए -जहां अंतरिम राहत से इनकार करने से सार्वजनिक शरारत हो सकती है, गंभीर अपूरणीय निजी चोट लग सकती है या जनता की निष्पक्षता में नागरिकों का विश्वास हिल सकता है प्रशासन, अंतरिम राहत दी जा सकती है - स्थगन आवेदन से निपटने के दौरान ट्रिब्यूनल को अनुचित कठिनाई से संबंधित निर्धारिती द्वारा रखी गई सामग्रियों पर विचार करना होगा और दंड की वसूली की सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तों को भी निर्धारित करना होगा - तथ्यों पर, अपीलकर्ता ने इसके निर्देशानुसार जुर्माना राशि जमा की कोर्ट -जुर्माने की वसूली को सुरक्षित रखने की दृष्टि से, मांग की गई शेष राशि के लिए, अपीलकर्ता को ऐसी सुरक्षा प्रस्तुत करनी होगी जो ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की जा सकती है - ऐसा होने पर, अपील को आगे जमा करने की आवश्यकता के बिना सुना जाएगा - अंतरिम आदेश।

अपीलकर्ता ने कथित तौर पर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की

धारा 8(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी मुद्रा अर्जित की, जिससे उस पर अधिनियम की धारा 50 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। कारण बताओ नोटिस जारी करने और जवाब प्राप्त होने के बाद, विशेष निदेशक ने अपीलकर्ता पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर की और पूर्व-जमा की आवश्यकता से छूट के लिए एक आवेदन दायर किया। ट्रिब्यूनल ने अपील पर विचार करने के लिए जुर्माना राशि का 60% जमा करने का आदेश पारित किया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने माना कि कठिनाई का कोई मामला ट्रिब्यूनल या उसके समक्ष नहीं बनाया गया था, इसलिए ट्रिब्यूनल के आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पूर्व-जमा से छूट देने का मामला बनाया गया था; और इस न्यायालय के दिनांक 5.2.2007 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में 10,00,000/- रुपये की राशि संबंधित निदेशालय के पास जमा कर दी गई थी। अपील का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने कहा: 1. स्थगन देते समय, मामलों का निपटान लंबित है संबंधित फोरम के समक्ष, हालांकि विवेकाधिकार उपलब्ध है, लेकिन इसका प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिए। यह सच है कि केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने पर सुरक्षा का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर सरसरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि उठाई गई मांग टिकने लायक नहीं है, तो करदाता से मांग का पूरा या वास्तविक हिस्सा चुकाने की मांग करना अवांछनीय होगा। करदाता को मांग का पूरा या कुछ हिस्सा जमा करने की आवश्यकता वाले आदेश से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ध्यान में रखे बिना स्थगन याचिकाओं का निपटान नियमित तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं हो सकता है और इसमें शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। जहां

अंतरिम राहत से इनकार करने से सार्वजनिक शरारत हो सकती है, गंभीर अपूरणीय निजी चोट लग सकती है या सार्वजनिक प्रशासन की निष्पक्षता में नागरिकों का विश्वास डगमगा सकता है, वहां अंतरिम राहत दी जा सकती है। [पैरा 6 और 8] [448-जी, 449-बी-डी]

सिलीगुड़ी नगर पालिका और अन्य वी. अमलेंदु ओस और अन्य. एआईआर (1984) एससी 653; मिस समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा.लिमिटेड बनाम एस. सैमुअल और अन्य एआईआर (1985) एससी 61; केंद्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक कलेक्टर बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड एआईआर (1985) एससी 330 -पर निर्भर

2.1. विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं। एक है अनुचित कठिनाई। यह छूट के लिए आवेदक के विशेष ज्ञान का मामला है और उसे ही इसे स्थापित करना होगा। अनुचित कठिनाई के बारे में मात्र दावा पर्याप्त नहीं होगा। किसी कठिनाई को 'अनुचित' होने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि आवश्यकता का पालन करने या निष्पादित करने का विशेष बोझ स्वयं आवश्यकता की प्रकृति और आवेदक को इसके अनुपालन से प्राप्त होने वाले लाभ के अनुपात से बाहर है। "अनुचित" शब्द केवल कठिनाई के अलावा कुछ और भी जोड़ता है। इसका अर्थ है अत्यधिक कठिनाई या परिस्थितियों से अधिक बड़ी कठिनाई। [पैरा 12 से 14] [450-डी, एफ-एच] 2.2. दूसरा पहलू जुर्माने की वसूली को सुरक्षित रखने के लिए शर्त लगाने से संबंधित है। यह न्यायाधिकरण का काम है कि वह ऐसी शर्तें लगाए जो दंड की वसूली को सुरक्षित रखने के लिए उचित समझी जाएं। इसलिए, आवेदन पर विचार करते समय ट्रिब्यूनल को अनुचित कठिनाई से संबंधित निर्धारिती द्वारा रखी जाने वाली सामग्रियों पर विचार करना होगा और दंड की वसूली की सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तों को भी निर्धारित करना होगा। [पैरा15] [450-एच, 451-ए-बी]

वासुदेव बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य आकाशवाणी (1994)एससी 923; बेनारा वाल्व्स लिमिटेड और अन्य के आयुक्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य (2006) 13 एससीसी 347 -पर निर्भर

3. निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता ने वह राशि जमा कर दी जिसे जमा करने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, जुर्माने की वसूली की सुरक्षा की दृष्टि से मांगी गई शेष राशि के लिए, अपीलकर्ता को ऐसी सुरक्षा प्रदान करनी होगी जो ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ऐसा होने पर, यदि अपील अन्यथा दोषमुक्त है तो अपील को अतिरिक्त जमा की आवश्यकता के बिना सुना जाएगा। [पैरा 19] (451-ई-एफ)

केस कानून संदर्भ

एआईआर (1984) एससी 653	पैरा 7 पर निर्भर
एआईआर (1985) एससी 61	पैरा 7 पर निर्भर
एआईआर (1985) एससी 330	पैरा 7 पर निर्भर
एआईआर (1994) एससी 923	पैरा 12 पर निर्भर
(2006) 13 एससीसी 347	पैरा 12 पर निर्भर

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5188/2008

कलकत्ता उच्च न्यायालय के ई.ई.ए. संख्या 2006 (2006 की जीए संख्या 2365) में दिनांक 13.12.2006 के अंतिम निर्णय और आदेश से

अपीलकर्ता की ओर से सुशील कुमार जैन, पुनीत जैन और प्रतिभा जैन।

प्रतिवादियों की ओर से श्वेता गर्ग, बी.वी. बलराम दास और बी. कृष्णा प्रसाद।

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डॉ. अरिजीत पसायत, द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. इस अपील में चुनौती कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेश को दी गई है, जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 35 के तहत अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया गया था।

3. पृष्ठभूमि तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि: वित्त मंत्रालय के प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ज्ञापन जारी किया गया था। दर्ज किए गए कुछ बयानों के आधार पर यह संकेत दिया गया था कि मेसर्स गॉडसन्स (इंडिया) और उसके मालिक, वर्तमान अपीलकर्ता ने विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (संक्षेप में 'विदेशी मुद्रा अधिनियम') की धारा 8 (1) के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए विदेशी मुद्रा हासिल की थी - जिससे उस पर विदेशी मुद्रा अधिनियम की धारा 50 के तहत कार्यवाही की जा सके। ज्ञापन न्यायनिर्णयन कार्यवाही और अपील नियम, 1974 (संक्षेप में 'न्यायनिर्णयन नियम') के नियम 3 के तहत जारी किया गया था। कारण बताओ नोटिस का जवाब अपीलकर्ता द्वारा दायर किया गया था। विदेशी मुद्रा अधिनियम के विशेष निदेशक ने 13 मई, 2005 को अपीलकर्ता पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश पारित किया। अपीलकर्ता ने अपीलीय न्यायाधिकरण (विदेशी मुद्रा) (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') के समक्ष अपील की और पूर्व-जमा की आवश्यकता से छूट देने के लिए एक आवेदन दायर किया। दिनांक 7.3.2006 के आदेश द्वारा ट्रिब्यूनल ने अपील पर विचार करने के उद्देश्य से जुर्माना राशि का 60% जमा करने का आदेश पारित किया। अधिनियम की धारा 35 के तहत अपील दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कठिनाई का मामला या तो ट्रिब्यूनल के समक्ष या उसके समक्ष बनाया गया था और इसलिए ट्रिब्यूनल का आदेश में हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालाँकि, जमा कराने की अनुमति का समय बढ़ा दिया गया था।

4. अपील के समर्थन में अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि पूर्व-जमा से छूट का मामला बनाया गया था। किसी भी स्थिति में, इस न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 5.2.200.7 के अनुपालन में 10,00,000/- रुपये की राशि संबंधित निदेशालय को जमा कर दी गई है।

5 दूसरी ओर, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता ने पूर्व-जमा से छूट देने का मामला नही बनाया है और इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट किए गए ट्रिब्यूनल के आदेश में कोई खामी नहीं है।

6. कई मामलों में संबंधित मंचों के समक्ष मामलों के निपटान तक स्थगन लगाने से संबंधित सिद्धांतों पर विचार किया गया है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामलों में हालांकि विवेक उपलब्ध है, लेकिन इसे न्यायिक रूप से क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

7. लागू सिद्धांतों को सिलीगुड़ी नगर पालिका और अन्य बनाम अमलेंदु दास और अन्य (एआईआर- 198-;1 एससी 653) और मिस समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बनाम सैमुअल और अन्य (एआईआर 1985 एससी 61) और ए सेंट्रल एक्साइज बनाम डनलप इंडिया लिमिटेड के सहायक कलेक्टर (एआईआर 1985 एससी 330) में संक्षेप में निर्धारित किया गया है।

8. यह सत्य है कि केवल प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने पर सुरक्षा का अंतरिम आदेश पारित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन अगर सरसरी तौर पर देखने पर ऐसा लगता है कि उठाई गई मांग टिकने लायक नहीं है, तो निर्धारिती से मांग का पूरा या वास्तविक हिस्सा चुकाने की मांग करना अवांछनीय होगा। करदाता को मांग का पूरा या कुछ हिस्सा जमा करने की आवश्यकता वाले आदेश से उत्पन्न होने वाले परिणामों को ध्यान में रखे बिना, स्थगन की याचिकाओं का निपटारा एक नियमित मामले में

नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे मामलों में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई नियम नहीं हो सकता है और इसमें शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया जाना चाहिए। केवल इसलिए कि इस न्यायालय ने उन सिद्धांतों का संकेत दिया है जो फोरम/प्राधिकरण को ऐसा आदेश पारित करने का लाइसेंस नहीं देता है जिसे निष्पक्षता, वैधता और सार्वजनिक हित की कसौटी पर कायम नहीं रखा जा सकता है। जहां अंतरिम राहत से इनकार करने से लोक रिष्टि हो सकती है, गंभीर अपूरणीय निजी उपहित हो सकती है या सार्वजनिक प्रशासन की निष्पक्षता में नागरिकों का विश्वास डगमगा सकता है, वहां अंतरिम राहत दी जा सकती है।

9. किसी विशेष मामले में शामिल तथ्यात्मक परिदृश्य का विश्लेषण किए बिना सिलीगुड़ी नगर पालिका और डनलप इंडिया मामलों (सुप्रा) में निर्णयों का हवाला देकर स्थगन आवेदनों का लापरवाही से निपटान करना एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बन गई है।

10. अधिनियम की धारा 19 इस प्रकार है:

"19(1) उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधान के अलावा, केंद्र सरकार या कोई भी व्यक्ति, जो धारा की उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश के अलावा किसी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित है। 17, या विशेष निदेशक (अपील), अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकते हैं, बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति जो न्यायनिर्णयन प्राधिकारी या विशेष निदेशक (अपील) के आदेश के खिलाफ कोई जुर्माना लगाता है, अपील दायर करते समय, राशि जमा करेगा। ऐसे प्राधिकारी के साथ ऐसा दंड, जिसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है:

बशर्ते कि जहां किसी विशेष मामले में, अपीलीय न्यायाधिकरण की राय हो कि इस तरह का जुर्माना जमा करने से ऐसे व्यक्ति को अनुचित कठिनाई होगी, अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसी शर्तों के अधीन ऐसी जमा राशि से छूट दे सकता है, जैसा कि वह

ऐसा लगाना उचित समझे। ताकि जुर्माने की वसूली को सुरक्षित रखा जा सके।"

11. प्रावधानों में प्रयुक्त दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं "ऐसे व्यक्ति को अनुचित कठिनाई" और "दंड की वसूली की रक्षा करना"। इसलिए आवेदन के निस्तारण में विचारण की दोहरी आवश्यकताओं, यानी अनुचित कठिनाई के पहलू और दंड की वसूली की सुरक्षा के लिए शर्तों को लागू करना, को ध्यान में रखना होगा।

12. जैसा कि ऊपर बताया गया है, धारा 19(1) में दो महत्वपूर्ण अभिव्यक्तियाँ हैं। एक है अनुचित कठिनाई। यह छूट के लिए आवेदक की विशेष जानकारी का मामला है और उसे ही इसे स्थापित करना होगा। अनुचित कठिनाई के बारे में मात्र दावा पर्याप्त नहीं होगा। यह इस न्यायालय द्वारा एस वासुदेव बनाम कर्नाटक राज्य और अन्य (एआईआर 1994 एससी 923) में पारित किया गया था कि भारतीय परिस्थितियों में अभिव्यक्ति "अनुचित कठिनाई" सामान्यतः आर्थिक कठिनाई से संबंधित है। "अनुचित" का अर्थ है कुछ ऐसा जो दावेदार के आचरण के अनुरूप नहीं है, या उसके लिए बहुत अधिक असंगत है। अनुचित कठिनाई तब उत्पन्न होती है जब परिस्थितियों के कारण कठिनाई आवश्यक नहीं होती।

13. किसी कठिनाई के 'अनुचित' होने के लिए यह दिखाया जाना चाहिए कि आवश्यकता का पालन करने या निष्पादित करने का विशेष बोझ आवश्यकता की प्रकृति के अनुपात से और आवेदक को इसके अनुपालन से जो लाभ प्राप्त होगा से बाहर है।

14. "अनुचित" शब्द कुछ और जोड़ता है। सिर्फ कठिनाई से इसका अर्थ है अत्यधिक कठिनाई या परिस्थितियों से अधिक बड़ी कठिनाई।

15. दूसरा पहलू जुर्माने की वसूली की सुरक्षा के लिए शर्त लगाने से संबंधित है। यह एक पहलू है जिसे ट्रिब्यूनल को ध्यान में लाना होगा। यह न्यायाधिकरण का काम है कि वह ऐसी शर्तें लगाए जो जुर्माने की वसूली को सुरक्षित रखने के लिए उचित

समझी जाएं। इसलिए, आवेदन पर विचार करते समय ट्रिब्यूनल को अनुचित कठिनाई से संबंधित निर्धारिती द्वारा रखी जाने वाली सामग्रियों पर विचार करना होगा और दंड की वसूली की सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तों को भी निर्धारित करना होगा।

16. बेनारा वाल्व्स लिमिटेड और अन्य बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त और अन्य (2006 (13) धारा 347) में उपरोक्त स्थिति पर प्रकाश डाला गया था। । यह निर्णय केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 35 एफ के संबंध में दिया गया था, जहां भी समान शर्तें मौजूद हैं।

17. मौजूदा मामले में ट्रिब्यूनल ने ठीक ही कहा है कि प्रतिद्वंद्वी पक्ष की रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के संदर्भ में विस्तार से जांच की जानी चाहिए।

18. एकमात्र अन्य प्रश्न जिसकी जांच करने की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या ट्रिब्यूनल के निर्देशानुसार जमा की जाने वाली राशि में कोई कमी की आवश्यकता है।

19. निर्विवाद रूप से अपीलकर्ता ने वह राशि जमा कर दी थी जिसे जमा करने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि, जुर्माने की वसूली की सुरक्षा की दृष्टि से मांगी गई शेष राशि के लिए अपीलकर्ता को ऐसी सुरक्षा प्रदान करनी होगी जो ट्रिब्यूनल द्वारा निर्धारित की जा सकती है। ऐसा होने पर, यदि अपील अन्यथा दोषमुक्त है, तो अतिरिक्त जमा की आवश्यकता के बिना अपील सुनी जाएगी।

20. तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

अपील निस्तारित।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी गणपत लाल विश्नोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।